राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांकः एफ 13( )ब.घो.17-18/प्रो.यो./सन्या/अधि/17/ 25-31 जयपुर, दिनांक : 3-8-17

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RAS Exam) में चयन होने के उपरान्त अभ्यार्थियों को एक मुश्त सहायता दिये जाने के सम्बंध में दिशा-निर्देश- 2017

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 155 के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में राजस्थान मूल के सामान्य वर्ग के (जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के न हो) अभ्यार्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RAS Exam) में चयन होने के उपरान्त सभी सेवाओं को मिलाकर वरीयताक्रम में आये प्रथम 100 प्रतियोगियों को 30 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैः-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :-**

   i. ये नियम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RAS Exam) में चयन होने के उपरान्त अभ्यार्थियों को एक मुश्त सहायता दिये जाने के सम्बंध में दिशा-निर्देश- 2017 कहलायेंगे।

   ii. ये नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होंगे।

   iii. ये नियम अप्रेल, 2017 से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाएँ :**

   i. राज्य सरकार, से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

   ii. विभाग, से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार से है।

   iii. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, से तात्पर्य अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।

   iv. आयुक्त/निदेशक, से तात्पर्य आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।

v. सामान्य वर्ग, से तात्पर्य जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग न होकर सामान्य वर्ग से है।

vi. अभ्यर्थी, से तात्पर्य राजस्थान के सामान्य वर्ग के परिवार के अभ्यर्थी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RAS Exam) में अन्तिम रूप से चयन होने के उपरान्त सभी सेवाओं को मिलाकर वरीयताक्रम में आये प्रथम 100 प्रतियोगियों के चयन उपरान्त से है।

vii. मूल निवासी, से तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी से है।

viii. RAS Exam से तात्पर्य RAS एवं Allied सेवाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्तिम रूप से चयन होने से है।

ix. प्रभारी अधिकारी, से तात्पर्य आयुक्तालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग स्तर पर योजना की कार्यवाही देख रहे अधिकारी से है।

3. प्रोत्साहन सहायता :-

(अ) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RAS Exam) में चयन होने के उपरान्त सभी सेवाओं को मिलाकर वरीयताक्रम में आये प्रथम 100 प्रतियोगियों को 30 हजार रूपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जायेगी।

4. अनुदान की पात्रता :-

i. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। (मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी)

ii. राजस्थान मूल के सामान्य वर्ग के (जो अनुसूचित जाति/जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग न हो) परिवार का सदस्य हो।

iii. अभ्यर्थी के माता-पिता/ अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक न हो। यदि अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।।

iv. अभ्यर्थी विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजना का लाभ न ले रहा हो।

v. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें इस योजना में लाभ नहीं दिया जायेगा।

vi. अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में अन्तिम रूप से चयनित हो गया हो।

5. **प्रोत्साहन सहायता स्वीकृति की शर्ते :** प्रोत्साहन सहायता स्वीकृति की निम्न शर्तों के अनुसार जारी की जावेगी :-

i. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा (RAS Exam) में अन्ति रूप से चयन होने के उपरान्त सभी सेवाओं को मिलाकर वरीयताक्रम में आये प्रथम 100 सामान्य वर्ग के प्रतियोगियों का चयन किया जावेगा।

ii. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें इस योजना में लाभ नहीं दिया जायेगा।

iii. यदि प्रार्थना पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यार्थी का होगा।

6. **आवेदन की प्रक्रिया एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-**उपरोक्त प्रोत्साहन सहायता राशि के लिये निम्न बिन्दुओं की पूर्ति करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा विभाग द्वारा चाहे गये दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त पात्रता की जॉच कर स्वीकृति जारी की जावेगी। अभ्यर्थी को विभाग द्वारा चाहे गये निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

i. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

ii. विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति। यदि अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

iii. प्रतियोगी परीक्षा में अन्तिम रूप से चयन होने एवं मैरिट के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

7. **आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रियाः-** आवेदन ऑन लाईन/सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर निर्धारित अवधि में आमंत्रित किये जावेगें एवं योजना में गठित कमेटी द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षा कर पात्र आवेदकों का चयन किया जावेगा।

8. **आवेदन प्राप्ति एवं निस्तारण की समय सीमा** : अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्तिम रूप से चयन होने के उपरान्त आवेदन पत्र प्राप्त होने के दो माह की अवधि प्रोत्साहन सहायता राशि स्वीकृत की जावेगी।

9. प्रोत्साहन राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में ऑनलाईन हस्तान्तरित की जावेगी।

10 **योजना में अभ्यार्थियों के चयन हेतु गठित कमेटी** : सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु निम्नानुसार चयन समिति गठित की जाती है :-

1	निदेशक/आयुक्त	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)	सदस्य
3	उपनिदेशक (राईस)	सदस्य
4	सहायक लेखाधिकारी (भुगतान), मुख्यावास	सदस्य
5	सहायक निदेशक (शिक्षा)	सदस्य सचिव

11. **नियमों का विनिर्णय** : इन नियमों की व्याख्या आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी, किसी भी विवाद में आयुक्त/निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

(डॉ0 समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

25330-345 20

क्रमांकः एफ 13( )ब.घो.17-18/प्रो. यो./सान्याअवि/17/ जयपुर, दिनांक : 14/5/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
10. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त जिला कलक्टर ....
12. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. सयुंक्त निदेशक (योजना)/मुख्य लेखाधिकारी/ उपनिदेशक (देवनारायण) एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/ सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/ सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास।
14. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....।

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव